ग्राम पंचायत खेहर, विकास खण्ड फतेहपुर जिला कॉंगडा, हि॰ प्र॰ –176022 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत खेहर, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कॉंगडा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री पवन कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री सतविन्द्र सिंह	01.04.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती चन्द्रकान्ता	01.04.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुदेश कुमारी	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत खेहर के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.26
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	11.26
3	7.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.04
4	8.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना।	7.24
5	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	1.00
6	8.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.52
7	8.4	निविदाओं में अनुमोदित दर की तुलना में अधिक दर से भुगतान करना।	0.10
8	9	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	15.38

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत खेहर के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दीपक सिंह पठानियां, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.02.2024 से 13.02.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया।

आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2021—22	12/2021	07/2021
2022—23	04/2022	03/2023

अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/— आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/—75 दिनांक 13.02.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि कॉंगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक रैहन के मल्टीसिटी चैक संख्या 586720 दिनांक 01.03.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2023/—63 दिनांकः 05.02.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत

के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है:–

1.स्व–स्त्रोत:–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	250907.30	1352967.00	1603874.30	861151.00	742723.30
2022-23	742723.30	948980.00	1691703.30	1072824.00	618879.30

2.अनुदान:–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तषेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	2970072.39	2954706.00	5924778.39	3416885.70	2507892.69
2022-23	2507892.69	2730335.00	5238227.69	4112611.00	1125616.69

कुल योग (1+2) 618879.30 +1125616.69 **= 17,44,495.99**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से ₹17,44,495.99 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष ₹17,70,642.99 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

	बैंक खातों की विवरणी:–			
क्र	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्व:स्त्रोत/5वां वित/ एम•एम•जी•पी•वाई/ आई•ए•वाई•/एस•डी•पी/ एम•पी•लेड	का•के•सह•बैंक रैहन	20051007520	**644521.30**
2	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक रैहन	50051955437	**33**
3	आई•ए •वाई	का•के•सह•बैंक रैहन	50051955380	**155**

4	जेड•पी	का•के•सह•बैंक रैहन	50051955346	**59300.39**
5	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक रैहन	50063711996	**19113**
6	15वाँ वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी•बैंक जसूर	50100367733181	**1047015.30**
7	हस्तगत शेष			**505**
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः—				₹1770642.99
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :—				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः—				₹1744495.99
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः—				₹1770642.99
अन्तरः—				26147

नोटः— अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.26 लाख का अन्तर पाया जाना :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत खेहर द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹26147/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/68 दिनांक 07.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में

नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस–किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/74 दिनांकः 13.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13.02.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ङ) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष

प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत खेहर द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानो जैसे कि 5वां वित, एस.डी.पी इत्यादि की सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, पांचवा वित, एस.डी.पी, एम.एम.जी.पी.वाई व एम.पी.लेड आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशो के विरूद्ध खाता संख्या 20051007520 में ही प्राप्त अनुदानो को जमा किया गया तथा इससे ही व्यय किया गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जोकि नियमो के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/74 दिनांकः 13.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 13.02.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों का स्कीमवार रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों का स्कीमवार रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹250907.30 से ₹644521.30 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/74 दिनांकः–13.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13.02.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिये आश्वासन के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹11.26 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2023/–63 दिनांकः–05.02.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1** व **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹11,25,616.69/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क.स.	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	जेड.पी	31.03.2023	59300.39
2	आई.ए.वाई	31.03.2023	155.00
3	एम.पी.लेड	31.03.2023	33.00
4	14वॉं वित्तायोग	31.03.2023	19113.00
5	15वॉं वित्तायोग	31.03.2023	1047015.30
		कुल जोड	**1125616.69**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/74 दिनांकः 13.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर उपयोग कर लिया जायेगा।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः

भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरान्त अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹1.04 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/–63 दिनांकः 05/02/2024 की अनुपालना में प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्ति कर/गृहकर की मद में ₹104310/– की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी। इतनी भारी राशि का वसूली हेतु शेष होना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/73 दिनांकः 13.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "3"** पर दर्शाई दिनांक 31.03.2023 को सम्पति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना सख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत खेहर द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1.	2021–22	2800
2	2022–23	1000
	जोड	**3800**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/74 दिनांकः 13.02.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत खेहर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः उक्त उल्लेखित राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹7.24 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भण्डार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खेहर के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** पर संकलित राशि ₹7,24,154/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका तथा स्टॉक एवं धन के रिसन (leakage) की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/74 दिनांकः 13.02.2024 द्वारा अनुरोध किया

गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13/02/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियाँ की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.00 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत खेहर के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** में दिए गए विवरणानुसार ₹1,00,000/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2023/74 दिनांकः 13/02/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13/02/2024 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.52 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"6"** पर संलग्न चुन्दिा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹52,278/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/74 दिनांकः–13.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गत समय में रॉयल्टी की राशि की कटौती नहीं की गई है, जिसकी वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार नियमित कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल

इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष ''102'' मिनरल कनसेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस ''81''खनिज फ़ीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलो के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 निविदाओं में अनुमोदित दर की तुलना में अधिक दर से ₹0.10 लाख का भुगतान करना।

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग से निम्नलिखित सामान का विवरणानुसार क्रय किया गया था:–

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.15वां वित्त	39/ 03.03. 2023	मै संजय शर्मा पधर कुठंदल फतेहपुर	रेत	6540 (6m2@1090)	9600 (6m2@1600)	3060
			बजरी	8690 (11m2@790)	15400 (11m2@1400)	6710
					जोड	9770

उपरोक्त बिल/वाउचर की निविदाओं (निविदाओ की छायाप्रति को रफ सीट में संलग्न किया गया है) में अनुमोदित दर से भुगतान न करके अधिक दर से ₹9770/– का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/–74 दिनांक: 13/02/2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के

ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 13.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि संबंधित फर्म/संविदाकार से वसूली कर ली जायेगी तथा संबंधित अनुदान में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार उपरोक्त किए गए अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्ति की जाए तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.5 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹15.38 लाख का अनियमित भुगतान करनाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹15,37,567/—(पैरा संख्या—9 में दिखाये गये व्यय के अनुसार) का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना है। जिसके अभाव में किये गये भुगतानो की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/74 दिनांकः—13/02/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत खेहर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या —01 दिनांक 13.02.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को तथ्यों रहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं मामले में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9 ₹15.38 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान ,चयनित माह के व्यय वाउचरों के समर्थन में निम्न विवरणानुसार राशि ₹15,37,567/— के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः—

क्र. स.	अनुदान	वाउचर संख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	14वां वित	2,8/07.07.21	निर्माण रास्ता सडक से राकेश शर्मा के घर तक	51847
2	14वां वित	03/07.07.21	निर्माण रास्ता सडक से सरूप, रत्न सिंह बगैरा के घर तक	65664
3	14वां वित	04,8/07.07.21	नि0 रास्ता सडक से भाटिया बगैरा के घर तक	67060
4	14वां वित	05/07.07.21	नि0 रास्ता सडक से बस्ती राजपूता वार्ड—5	65934
5	14वां वित	06/07.07.21	निर्माण रास्ता सडक से बडूण तक वार्ड—6	66528
6	14वां वित	07/07.07.21	निर्माण रास्ता सडक से बस्ती राजपूता वार्ड—7	60534
7	मनरेगा	17/03.07.21	कच्ची कुल्ह रण सिंह कर जमीन पर	39382

8	मनरेगा	18,29 / 03.07.21,07.07.21	कच्ची कुल्ह वलवन्त सिंह कर जमीन पर	64757
9	मनरेगा	19 / 07.07.21	निर्माण खुदाई तालाब व डंगा नजदीक बस्ती ब्राहम्णा	62310
10	मनरेगा	20 / 07.07.21	निर्माण खुदाई तालाब व डंगा नजदीक गेदर तालाब	52410
11	मनरेगा	21,22,23,24 / 07.07.21	निर्माण रास्ता गांव खेहर से गांव कुठन्दल तक	160020
12	मनरेगा	25,26,27,28 / 07.07.21	निर्माण कच्चा पक्का रास्ता गांव सकोह से बड़ूण गांव तक	160500
13	मनरेगा	43 / 27.03.23	निर्माण पक्का रास्ता व लेन्ड लेवलिंग खेल मैदान शिवधाम	64344
14	15वां वित	39 / 03.03.23	निर्माण नाली नजदीक हाउस कृष्ण कुमार	41120
15	15वां वित	40,42 / 07.03.23	निर्माण रास्ता रणिया राम के घर तक सकोह	31913
16	15वां वित	40,46 / 07.03.23,08.03.23	निर्माण रास्ता रोड से राकेश ,संदीप के घर तक	86874
17	15वां वित	40,44 / 07.03.23,08.03.23	निर्माण रास्ता रोड से मड़ू राम के घर तक	55971
18	15वां वित	40,45 / 07.03.23,08.03.22	निर्माण नाली व रास्ता सकोह वार्ड–5	62282
19	15वां वित	40,41 / 07.03.23	निर्माण नाली व रास्ता खेहर वार्ड–1	92621
20	15वां वित	43 / 07.03.23	निर्माण रास्ता रोड से बस्ती नाईया वार्ड–2	29106
21	मनरेगा	55 / 04.03.23	निर्माण जीप योग्य रास्ता राजपूत मोहल्ला से अनिल धयवन्त के खेत तक वार्ड–3	156390
			कुल योग	**1537567**

उक्त निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत खेहर से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग./अ0वृ0कां/2024/74 दिनांकः 13/02/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप

पुस्तिकाओ को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "9" दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2.हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निर्माण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेहर द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया था व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के नियम 93 की अवहेलना है।

3.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/74 दिनांक: 13.02.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत खेहर को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13/02/2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल मे लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/63 दिनांकः 05.02.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13/02/2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण

के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/–63 दिनांकः 05.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 13/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

13.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत खेहर द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत खेहर के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

15 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

10 JUN 2024

2462-2466 का० / 56

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)392/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत खेहर, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

10 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का० / 56

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या - 4.1(क)) में सन्दर्भित

FINANCIAL POSITION OF GP KHEHAR FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	250907.30	1352967.00	1603874.30	861151.00	742723.30
2022-23	742723.30	948980.00	1691703.30	1072824.00	618879.30

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	2970072.39	2954706.00	5924778.39	3416885.70	2507892.69
2022-23	2507892.69	2730335.00	5238227.69	4112611.00	1125616.69

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या - "6.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP KHEHAR FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	ZP	2021-22	42262.39	55393.00	97655.39	40000.00	57655.39
		2022-23	57655.39	1645.00	59300.39	0.00	59300.39
2	IAY	2021-22	18735.00	436.00	19171.00	19020.00	151.00
		2022-23	151.00	4.00	155.00	0.00	155.00
3	MPLAD	2021-22	4018.00	94.00	4112.00	4079.00	33.00
		2022-23	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00
4	14TH FC	2021-22	2395112.00	55475.00	2450587.00	1636038.00	814549.00
		2022-23	814549.00	3664.00	818213.00	799100.00	19113.00
5	15TH FC	2021-22	509945.00	1125577.00	1635522.00	17.70	1635504.30
		2022-23	1635504.30	1476960.00	3112464.30	2065449.00	1047015.30
6	MNREGA	2021-22	0.00	1717731.00	1717731.00	1717731.00	0.00
		2022-23	0.00	1248062.00	1248062.00	1248062.00	0.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Khehar
Dev Block ..., ... (H.P.)

पृष्ठ- 25

परिशिष्ट –"उ" (पैरा संख्या – 7.1 में संदर्भित)

कार्यालय ग्राम पंचायत खेहर,विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0176022

दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 में 700 तथा 2022–23 में 710 परिवारों का रु 30/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021-22	62010	700	30	21000	83010	0	83010
2022-23	83010	710	30	21300	104310	0	104310
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹104310/– है।						

26

परिशिष्ट " 4 "

ग्राम पंचायत खेहर , विकास खण्ड फतेहपुर, विवाह पंजीकरण शुल्क दिनांक 31-03-2023 तक वसूली हेतु शेष (पैरा संख्या " 7.3 " में संदर्भित)

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	विशाल कुमार	12.11.2021	30.11.21	₹ 200	₹ 0	₹ 200
2	सुखविंदर सिंह	11.12.2021	07.01.2022	₹ 200	₹ 0	₹ 200
3	अनिल कुमार	05.02.2022	24.02.2022	₹ 200	₹ 0	₹ 200
4	पंकज चौधरी	09.02.2022	26.02.2022	₹ 200	₹ 0	₹ 200
5	मोहित भाटिया	22.01.2022	26.02.2022	₹ 200	₹ 0	₹ 200
6	अक्षय कुमार	10.04.2022	21.04.2022	₹ 200	₹ 0	₹ 200
7	रूमेल सिंह	19.04.2022	28.04.2022	₹ 200	₹ 0	₹ 200
8	राहुल	14.04.2022	21.04.2022	₹ 200	₹ 0	₹ 200
9	अमित कुमार	10.05.2022	26.05.2022	₹ 200	₹ 0	₹ 200
10	पुनीत कुमार	11.06.2022	22.06.2022	₹ 200	₹ 0	₹ 200
11	विनेक कुमार	31.05.2022	17.06.2022	₹ 200	₹ 0	₹ 200
12	नितिन सिंह	20.07.2022	02.08.2022	₹ 200	₹ 0	₹ 200
13	अरूण कुमार	02.12.2022	23.12.2022	₹ 200	₹ 0	₹ 200
14	मोहित कुमार	09.12.2022	03.01.2023	₹ 200	₹ 0	₹ 200
			कुल	₹ 2,800.00	₹ 0.00	₹ 2,800.00

परिशिष्ट–" 5 "

ग्राम पंचायत खेहर विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां मंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर कय करना।(पैरा संख्या– "8.1" में संदर्भित) 8.2

अनुदान	वो.स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.MNREGA	21/07.07.21	Sand	16/17.10.21	M/S Sanjay Sharma Kuthandal Fatehpur	9	1500	13500	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			20	1500	30000	
		Stone			7	900	6300	
2.MNREGA	22/07.07.21	Sand	Nil	M/S Sanjay Sharma Kuthandal Fatehpur	8	1500	12000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			21	1500	31500	
		Stone			7	900	6300	
3.MNREGA	23/07.07.21	Sand	20/Nil	M/S Sanjay Sharma Kuthandal	5	1500	7500	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			20	1500	30000	
4.15TH FC	39/03.03.23	Sand	181/20.01.23	M/S Sanjay Sharma Kuthandal	6	1500	9000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			11	1500	16500	
5.15TH FC	40/07.03.23	Cement Bag	6435/13.03.23	M/S H.P Civil Fatehpur	124	401	49724	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
6.15TH FC	41/07,08.03.23	Interlock Tiles	295,284/02.03.2023	M/S Krishna Interlock Tiles Jhawan Raja ka	4455	18	80190	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
7.15TH FC	42/07.03.23	Interlock Tiles	281/02.03.2023	do	1617	18	29106	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
8.15TH FC	43/07.03.23	Interlock Tiles	289/03.03.2023	do	1617	18	29106	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
9.15TH FC	44/08.03.23	Interlock Tiles	286/02.03.2023	do	2508	18	45144	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
10.15TH FC	45/08.03.23	Interlock Tiles	287,288/02.03.2023	do	2970	18	53460	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
11.15TH FC	46/08.03.23	Interlock Tiles	293,282/02.03.2023	do	4158	18	74844	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई

12.15TH FC	47,48/16.03.23	Water Cooler 40/80 Ltr Voltas	505,506/07.03.2023	M/S Dev Bhumi Traders Shahpur	2	49990	99980	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
13.15TH FC	49,50/20.03.23	Cement Benches(18 % GST)	507,508/07.03.2023	M/S Dev Bhumi Traders Shahpur	16	6250	100000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
						G/Total	724154	

नोट:- 1. क्रम संख्या 1 से 13 तक की स्टाॅक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई।
2. क्रम संख्या 13 की निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई।

परिशिष्ट–6

ग्राम पंचायत खेहर खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा संख्या–"४·3" के सन्दर्भ में)

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
1.MNREGA								
M/s Sanjay Sharma Kuthandal Fatehpur	19/07.07 .2021	13/17.10 .2020	Sand	12.000	1.62	19.440	80	1555.20
			Bajri	23.000	1.52	34.96	80	2796.80
do	20/07.07 .2021	14/17.10 .2020	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	19.000	1.52	28.880	80	2310.40
do	21/07.07 .2021	16/Nil	Sand	9.000	1.62	14.580	80	1166.40
			Bajri	20.000	1.52	30.4	80	2432.00
			Stone	7.000	2.24	15.680	80	1254.40
do	22/07.07 .2021	Nil	Sand	8.000	1.62	12.960	80	1036.80
			Bajri	21.000	1.52	31.92	80	2553.60
			Stone	7.000	2.24	15.680	80	1254.40
do	23/07.07 .2021	20/Nil	Sand	5.000	1.62	8.100	80	648.00
			Bajri	20.000	1.52	30.4	80	2432.00
do	24/07.07 .2021	22/Nil	Stone	14.000	2.24	31.360	80	2508.80
do	25/07.07 .2021	17/Nil	Sand	9.000	1.62	14.580	80	1166.40
			Bajri	20.000	1.52	30.4	80	2432.00
			Stone	7.000	2.24	15.680	80	1254.40
do	26/07.07 .2021	19/Nil	Sand	9.000	1.62	14.580	80	1166.40
			Bajri	20.000	1.52	30.4	80	2432.00
			Stone	7.000	2.24	15.680	80	1254.40
do	27/07.07 .2021	21/Nil	Sand	9.000	1.62	14.580	80	1166.40
			Bajri	10.000	1.52	15.2	80	1216.00
			Stone	10.000	2.24	22.400	80	1792.00
do	28/07.07 .2021	25/10.02 .21	Sand	6.000	1.62	9.720	80	777.60
			Bajri	6.000	1.52	9.12	80	729.60
			Stone	6.000	2.24	13.440	80	1075.20
							Total	**39707.20**
2.15TH FC								
do	39/03.03 .2023	181/20.0 1.2023	Sand	6.000	1.62	9.720	80	777.60
			Bajri	11.000	1.52	16.720	80	1337.60
							Total	**2115.20**
							Total(1+2)	**41822.40**
							25% Penalty	**10455.60**
							G.Total	**52278.00**